

### Letters of intent for manufacture of potable alcohol

976. DR. YELAMANCHILI (SIVAJI): Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to refer to the answer to Starred Question 322 given in the Rajya Sabha on the 24th May, 1990 and state what are the details of letters of intent issued in 1989-90 for the manufacture of potable alcohol, such as IMFL?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): The details of Letters of Intent issued for the manufacture of potable alcohol based on non-molasses raw materials are given in the attached annexure. [See Appendix CLV, Annexure No. 27]

3500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते की किस्त का भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना

977. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को करने का प्रावधान है ;

(ख) यदि हाँ, तो 1 जुलाई, 1990 के बाद से प्रतिमाह 3500/- रुपये और उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्त का नकद भुगतान न करके इस राशि को उनके भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने का निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) विभिन्न मदों की कटौती के बाद 3500/- रुपये मूल वेतन पाने वाला कर्मचारी प्रतिमाह औसतन जितनी राशि घर ले जा पाता है उसके बारे में सरकार का क्या आकलन है ; और

(घ) जुलाई, 1990 के महीने में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों के स्तर को ध्यान में रखते हुए एक औसत परिवार के औसत मासिक खर्च के बारे में सरकार का क्या आकलन है तथा क्या ऐसी आवश्यक मदों पर खर्च की गई यह राशि उस राशि से अधिक नहीं है जो 3500/- रुपये प्रतिमाह मूल वेतन पाने वाला कर्मचारी अपने घर ले जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उन्हें महंगाई भत्ते की किस्त का नकद भुगतान करने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से देय होती है । सरकार ने निर्णय लिया है कि 3500/- रु. से अधिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1990 से आगे देय होने वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि का नकद भुगतान नहीं किया जायेगा अभिय इसके बजाय इसे अनेक अपॉ अपने भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा, क्योंकि कम वेतनभोगी कर्मचारियों की तुलना में उनके कम प्रभावित होने की संभावना है ।

(ग) यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किसी वेतन वर्ग में सरकारी कर्मचारी की घर ले जाने की औसत वेतन राशि कितनी है क्योंकि यह रजिष्ट्र प्रत्येक कर्मचारी की अलग-अलग हो है जो कि उनके सामान्य भविष्य निधि अंशदान तथा उनके द्वारा लिये गये अग्रिमों/ऋणों आदि की वसुली पर निर्भर करता है ।

(घ) यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि एक औसत परिवार का प्रतिमाह कितना औसतन व्यय है क्योंकि यह व्यय एक परिवार का दूसरे परिवार से भिन्न होता है जो कि परिवार के आकार उनके खान-पान तथा रहन-सहन आदि की क्षाप्तों पर निर्भर करता है ।